

राजभाषा प्रकोष्ठ

HINDI CELL

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

DOCTOR HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA, SAGAR (M.P.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय A CENTRAL UNIVERSITY)



ई-मेल : rajbhasha@dhsgsu.edu.in

दूरभाष क्र. : (07582) 297118

क्र. : रा.भा.प्र./2026/32/4091

०४ जनवरी, 2026

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण
विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

विषय : विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 51वीं तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 51वीं तिमाही बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को मध्याह्न 12.00 बजे गौर समिति कक्ष, नवीन प्रशासनिक भवन में माननीय कुलपति प्रो. वाय.एस. ठाकुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

उक्त बैठक का सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 06.01.2026 का अनुमोदित कार्यवृत्त आपकी ओर सूचनार्थ, अभिलेख एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सादर,

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

संतोष सोहगौरा
हिन्दी अधिकारी (प्र.)

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. कुलपति के निज सहायक – माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष, विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति को सूचनार्थ।
2. समस्त सदस्यगण, राजभाषा कार्यान्वयन समिति।
3. श्री अनिल कुमार, उप सचिव (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. श्री अजय कुमार झा, उप निदेशक (राजभाषा), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. संयुक्त सचिव (राजभाषा), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
7. प्रभारी, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ – कृपया उक्त कार्यवृत्त वेबसाइट पर अपलोड करवाने के अनुरोध के साथ।
8. कुलसचिव के निज सहायक।
9. गार्ड फाईल।

राजभाषा प्रकोष्ठ
डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 51वीं तिमाही बैठक

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2025 (शुक्रवार)

समय : मध्याह्न 12:00 बजे

स्थान : गौर समिति कक्ष, कुलसचिव कार्यालय, नवीन प्रशासनिक भवन।

॥ कार्यवृत्त ॥

विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 51वीं तिमाही बैठक का आयोजन 12 दिसम्बर, 2025 को मध्याह्न 12:00 बजे गौर समिति कक्ष, नवीन प्रशासनिक भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर ने की।

समिति के सदस्य-सचिव श्री संतोष सोहगौरा ने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति एवं समिति के अध्यक्ष प्रो. यशवंत सिंह ठाकुर का पुष्पगुच्छ भेंट कर समिति की ओर से स्वागत किया। समिति के समस्त सदस्यों के स्वागतोपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संयुक्त कुलसचिव एवं राजभाषा अधिकारी ने कार्यसूची सदन के समक्ष प्रस्तुत की।

बैठक का बिंदुवार कार्यवृत्त निम्नानुसार है :-

1. विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 50वीं तिमाही बैठक के कार्रवाई प्रतिवेदन की पुष्टि।

सदस्य-सचिव श्री सोहगौरा ने बताया के माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरांत 50वीं तिमाही बैठक का कार्यवृत्त सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समस्त सम्माननीय सदस्यों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित किया गया।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदस्य-सचिव श्री सोहगौरा ने विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 50वीं तिमाही बैठक का कार्रवाई प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।

संकल्प : समिति ने एकमत से कार्रवाई प्रतिवेदन पारित किया।

(कार्रवाई: राजभाषा प्रकोष्ठ)

2. 30 सितम्बर, 2025 को समाप्त तिमाही की राजभाषा प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा।

समिति के सदस्य-सचिव ने विश्वविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय तिमाही (01 जुलाई, 2025 से 30 सितम्बर, 2025) के दौरान राजभाषा की तिमाही प्रगति रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की।

संकल्प : समिति ने एकमत से राजभाषा संबंधी आंकड़ों पर संतोष व्यक्त किया तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की अनुशंसा की।

(कार्रवाई: समस्त विभाग/अनुभाग/केन्द्र/प्रकोष्ठ एवं राजभाषा प्रकोष्ठ)

3. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने समिति को बताया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से द्विभाषी में जारी किए जाने हैं - 1. सामान्य आदेश, 2. परिपत्र, 3. संकल्प 4. नियम, 5. ज्ञापन, 6.

अधिसूचनाएं, 7. प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, 8. प्रेस विज्ञप्तियां, 9. संविदाएं, 10. करार, 11. अनुज्ञप्तियां, 12. अनुज्ञापत्र, 13. निविदा सूचना एवं निविदा प्रारूप, 14. नीति संबंधी दस्तावेज।

सदस्य-सचिव ने बताया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), भोपाल के कार्यालयाध्यक्ष ने विश्वविद्यालय द्वारा जारी एवं हिंदी के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रोजगार सूचना को संज्ञान में लेते हुए धारा 3(3) के उल्लंघन पर आपत्ति दर्ज करायी है।

संकल्प : माननीय अध्यक्ष महोदय ने उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए समस्त कार्यालय/अनुभाग/शाखा प्रमुखों को धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेशित किया।

(कार्रवाई: समस्त विभाग/अनुभाग/केन्द्र/प्रकोष्ठ एवं राजभाषा प्रकोष्ठ)

4. राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अनुपालन पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में रजिस्ट्रारों के प्रारूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी में तथा नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेखन सामग्री हिंदी और अंग्रेजी में लिखी, मुद्रित या उत्कीर्ण होनी चाहिए। उन्होंने समिति को बताया कि विश्वविद्यालय में कतिपय पत्रशीर्ष केवल अंग्रेजी में मुद्रित या प्रकाशित किए जा रहे हैं जिसका संज्ञान राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भी लिया जा रहा है।

संकल्प : माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेशित किया कि विश्वविद्यालय में राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सर्वसंबंधितों को कुलसचिव की ओर से निर्देश जारी किए जाएं।

(कार्रवाई: समस्त विभाग/अनुभाग/केन्द्र/प्रकोष्ठ एवं राजभाषा प्रकोष्ठ)

5. राजभाषा नियम 1976 के नियम 05 के अनुपालन पर चर्चा।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार शत-प्रतिशत हिंदी पत्राचार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजभाषा नियम 1976 के नियम 05 का अनुपालन अनिवार्य है। इस नियम के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

संकल्प : समिति ने नियमानुसार एकमत से हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए जाने पर प्रतिबद्धता व्यक्त की।

(कार्रवाई: समस्त विभाग/अनुभाग/केन्द्र/राजभाषा प्रकोष्ठ)

6. नराकास, सागर (म.प्र.) की वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक के आयोजन की सूचना।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि सागर जिले में स्थित केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सागर का गठन किया गया है। वर्तमान में नराकास, सागर की अध्यक्ष विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय हैं। माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में नराकास, सागर की वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक दिनांक 17 नवम्बर, 2025 को वरदान होटल, सिविल लाइन्स, सागर में सम्पन्न हुई। बैठक में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालयाध्यक्ष एवं उप निदेशक (कार्यान्वयन) श्री नरेन्द्र सिंह मेहरा सहित लगभग 70 केन्द्रीय उपक्रमों/बैंकों/कार्यालयों के प्रमुख तथा राजभाषा अधिकारी उपस्थित रहे।

7. राजभाषा प्रकोष्ठ में एक लिपिक संवर्गीय कार्मिक पदस्थ करने पर विचार।

समिति के सदस्य-सचिव एवं राजभाषा अधिकारी ने समिति को बताया कि विश्वविद्यालय में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नियमित रूप

से तिमाही बैठकों का आयोजन एवं संकल्पों पर कार्रवाई, हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन, हिंदी पखवाड़ा का आयोजन, यथावश्यक अनुवाद कार्य, तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संकलन एवं प्रेषण, दैनन्दिन पत्राचार, आंतरिक राजभाषा निरीक्षण, पत्रिका प्रकाशन एवं राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु गतिविधियों का नियमित एवं समयबद्ध निष्पादन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त नराकास, सागर के सचिवालय के माध्यम से सागर जिले में स्थित समस्त केन्द्रीय कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा एवं निगरानी, समीक्षा बैठकों का आयोजन, खातों एवं अभिलेखों का संधारण तथा राजभाषा निरीक्षण कार्यक्रमों का संयोजन आदि कार्य नियमित रूप से निष्पादित किए जा रहे हैं। उक्त कार्य हेतु राजभाषा प्रकोष्ठ में कुल दो कार्मिक उपलब्ध हैं।

सदस्य-सचिव ने माननीय अध्यक्ष महोदय से राजभाषा प्रकोष्ठ में डाटा एंट्री एवं लिपिकीय सहयोग हेतु एक अतिरिक्त लिपिक संवर्गीय कार्मिक की पदस्थापना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया।

संकल्प : माननीय अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन को दृष्टिगत रखते हुए कुलसचिव महोदय से राजभाषा प्रकोष्ठ को प्राथमिकता के आधार पर एक लिपिक संवर्गीय कार्मिक उपलब्ध कराने का निदेश दिया। प्रस्ताव पर कुलसचिव महोदय ने भी अपनी सहमति व्यक्त की।

(कार्रवाई: स्थापना अनुभाग एवं राजभाषा प्रकोष्ठ)

8. नराकास, सागर (म.प्र.) द्वारा विश्वविद्यालय को राजभाषा उत्कृष्टता सम्मान।

सदस्य-सचिव ने समिति को अवगत कराया कि सागर नगर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्यालय में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर कार्यालय, उपक्रम एवं बैंक प्रत्येक श्रेणी से एक कार्यालय/उपक्रम/बैंक को उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित करती है। इस दौरान कार्यालय में हिंदी पत्राचार की स्थिति, राजभाषा नियम 1976 के नियम 5, धारा 3(3) के अनुपालन, हिंदी पखवाड़ा, तिमाही बैठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, पत्रिका प्रकाशन तथा हिंदी टिप्पण की स्थिति के आधार पर कार्यालय श्रेणी में विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नराकास, सागर की वर्ष 2025-26 की द्वितीय छमाही बैठक में माननीय अध्यक्ष एवं उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया।

संकल्प : माननीय अध्यक्ष महोदय एवं समिति के समस्त सम्माननीय सदस्यों ने विश्वविद्यालय में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राजभाषा प्रकोष्ठ एवं विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रशंसा की। माननीय अध्यक्ष महोदय ने सम्मान हेतु राजभाषा अधिकारी श्री संतोष सोहगौरा एवं राजभाषा प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

9. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु।

माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से राजभाषा कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया गया-

(क) विश्वविद्यालय के प्रभारी वित्ताधिकारी एवं विधि अध्ययनशाला के अधिष्ठाता प्रो. हिमांशु पाण्डेय ने शब्दावली में समरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासनिक शब्दावली एवं विधि शब्दावली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा।

राजभाषा अधिकारी ने समिति को अवगत कराया कि प्रशासनिक कामकाज में उपयोग में आने वाली वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित मानक प्रशासनिक शब्दावली समस्त कार्यालयों एवं विभागों को उपलब्ध करायी गई है। साथ ही राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए 'हिन्दी शब्द सिंधु' महाशब्दकोश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जिसमें 04 लाख से अधिक शब्द समाहित हैं। भारत सरकार द्वारा प्रकाशित विधि शब्दावली भी विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) शिक्षा अध्ययनशाला के अधिष्ठाता प्रो. अनिल कुमार जैन ने हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।

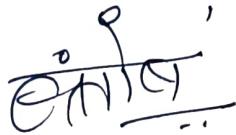
राजभाषा अधिकारी एवं समिति के सदस्य-सचिव ने सदन को अवगत कराया कि हिंदी पखवाड़ा के दौरान विश्वविद्यालय के सम्माननीय शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय में बहुभाषी संस्कृति के विकास के लिए स्वतंत्र इकाई के रूप में भारतीय भाषा प्रकोष्ठ गठित है जिसके माध्यम से हिंदी सहित 22 मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों हेतु नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने विश्वविद्यालय में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किए जा रहे प्रयासों में समिति के सम्माननीय सदस्यों से यथासम्भव योगदान देने तथा अपने कार्यालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने का आवाहन किया।

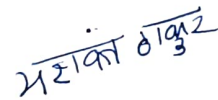
राजभाषा प्रकोष्ठ की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय प्रो. वाय.एस. ठाकुर, विभिन्न अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाताओं, कुलसचिव डॉ. सत्यप्रकाश उपाध्याय, समिति के सम्मानित सदस्यों एवं सदस्य-सचिव व राजभाषा अधिकारी श्री संतोष सोहगौरा का आभार हिंदी अनुवादक अभिषेक सक्सेना ने किया।

इस प्रकार सौहार्दपूर्ण वातावरण में विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 51वीं तिमाही बैठक सम्पन्न हुई।

संलग्न: उपस्थिति पत्रक।



(संतोष सोहगौरा)
राजभाषा अधिकारी(प्र) एवं सदस्य-सचिव
राजभाषा कार्यान्वयन समिति



(प्रो. वाय.एस. ठाकुर)
कुलपति एवं अध्यक्ष
राजभाषा कार्यान्वयन समिति

**विश्वविद्यालयीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 51वीं तिमाही बैठक में उपस्थित
सदस्यों की सूची**

1. प्रो. वाय.एस. ठाकुर (मान. कुलपति)	अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
2. डॉ. सत्यप्रकाश उपाध्याय कुलसचिव	सदस्य
3. प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान अध्ययनशाला	सदस्य
4. प्रो. विनोद भारद्वाज निदेशक, अकादमिक गतिविधियाँ	सदस्य
5. प्रो. अनिल कुमार जैन अधिष्ठाता, शैक्षिक अध्ययनशाला	सदस्य
6. प्रो. हिमांशु पांडे वित्ताधिकारी (प्र.)	सदस्य
7. डॉ. मोहन टी.ए. पुस्तकालयाध्यक्ष, जहवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय	सदस्य
8. डॉ. आर.टी. बेद्रे निदेशक, मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र	सदस्य
9. डॉ. विवेक बी. साठे निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
10. डॉ. अभिषेक कुमार जैन मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
11. श्री ब्रजभूषण सिंह विधि अधिकारी	सदस्य
12. डॉ. सुमन पटेल सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
13. डॉ. रूपेन्द्र जुगल चौरसिया सीनियर सिस्टम एनालाएस्ट (आई.टी.सेल)	सदस्य
14. श्री आर.के. पाल सहायक कुलसचिव	सदस्य
15. श्री दीपक कुमार शाक्य सहायक कुलसचिव (वित्त एवं लेखा शाखा)	सदस्य
16. श्रीमती ए. लक्ष्मी सहायक कुलसचिव (परीक्षा)	सदस्य
17. श्रीमती ममता त्रिपाठी सहायक कुलसचिव (स्थापना)	सदस्य
18. श्री सचिन सिंह गौतम नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर (आई.टी.सेल)	सदस्य
19. श्री अंजनेय शुक्ला प्रभारी, क्रय एवं भण्डार शाखा	सदस्य
20. श्री राहुल गिरि गोस्वामी सहायक यंत्री	सदस्य
21. श्री संतोष सोहगौरा संयुक्त कुलसचिव एवं प्रभारी, राजभाषा अधिकारी	सदस्य-सचिव
22. श्री अभिषेक सक्सेना, राजभाषा प्रकोष्ठ	हिन्दी अनुवादक
23. श्री विनोद रजक, राजभाषा प्रकोष्ठ	उच्च श्रेणी लिपिक

...